

राजस्थान सरकार जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील नम्बर: नारायण सिंह चारण, आर0ए0एस0

अपील नम्बर 22/2019 (अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

अपील नम्बर 22/2019 बनाम बनाम जाति जाट निवासी खेडली गडासिया तहसील बयाना  
जिला कलक्टर


.....अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना

.....रेस्पोंडेंट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 05.02.2019 तहसीलदार बयाना  
मिसिल नम्बर 73/2019 उनवानी सरकार बनाम समयसिंह  
अन्तर्गत राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956



उपस्थित :-

- 1-श्री महाराजसिंह अभिभाषक अपीलान्त,
- 2-पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 17.10.2019

अपीलान्त द्वारा यह अपील तहसीलदार बयाना के आदेश दिनांक 05.02.2019 के खिलाफ पेश की गई है। अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश विधि विरुद्ध है इसलिये निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा तथाकथित वर्णित आराजी पर कोई कब्जा नहीं किया है और न ही कोई फसल बोई अथवा काटी गई है। तमाम बाते पटवारी हल्का ने कतई मिथ्या एवं बनावटी लिखी है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत झूठा नोटिस देकर झूठा प्रकरण लगाया है इसलिये आदेश तहत कतई गलत है निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जबाब प्रस्तुत किया है उसमें भी यह है कि अपीलान्त ने अपनी आराजी में फसल बोई है उसकी खेती के लिए जमीन की कोई पैमाईश नहीं करायी गई है यदि विवादित जमीन की निकलती है तो उसे अपीलार्थी सहर्ष छोड़ने को तैयार है। अधीनस्थ न्यायालय ने जबाब के विरुद्ध खण्डनाधीन आदेश देने में भारी त्रुटि की। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को खण्डनाधीन आदेश देने से पूर्व कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है कोई मौका पर जाकर आराजी की पैमाईश नहीं करायी गई है और न कोई पूर्व के निर्णय की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है फिर भी पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिवस की अवधि के लिये कारावास की सजा देकर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी व न्यायिक त्रुटि की है। सिविल कारावास का दण्ड एक अत्यन्त घोर व कठोर दण्ड है जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं दिया जा सकता है उक्त मामले में पूर्व का कोई निर्णय पेश कर सावित नहीं कराया है कि अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कतई गलत है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने से भी अधिकतम अवधि के कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जा सकता है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कतई गलत है निरस्तनीय है। अभियोजन पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की है इसलिये भी आदेश तहत कतई गलत है। अन्त में वकील अपीलान्त द्वारा अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 05.02.2019 को निरस्त फरमाने जाने का निवेदन किया गया।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंड एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार बयाना से प्राप्त तहत पत्रावली शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्त ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि अपीलान्त का किसी भी सरकारी रकवें पर कोई अतिक्रमण नहीं है, अगर किसी भी रकवें पर अपीलान्त का कब्जा पाया

उक्त जॉडने एव तहत अदालत द्वारा पारित दण्डादेश को अतिक्रमण को सावित करने के लिये दस्तावेजी प्रमाणों की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अपीलान्त को सुनवाई का भी कोई अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्त की पटवारी की कोई साक्ष्य लेखबद्ध नहीं की गई है। तहत अदालत ने उक्त अपीलान्त से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अन्त में वकील अपीलान्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2019 आधारहीन होने के कारण खारिज करने एवं अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार बयाना के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2019 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्त द्वारा पूर्व में भी इस आराजी पर अतिक्रमण किया गया था। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को बखूबी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त के खिलाफ अधीनस्थ अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। अपीलान्त के हक में आज दिनांक तक उक्त भूमि का आवंटन/नियमन नहीं हुआ है यह भूमि चारागाह की भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्जित होने से नियमन योग्य भी नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलान्त किसी भी सहानुभूति का पात्र नहीं है। अपीलान्त राजकीय चारागाह की भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी भी है। इसलिए अधीनस्थ अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्त आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2019 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।



उपरोक्त उन्मुख की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली नमूदा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से खसरा नम्बर 22/2019 के अन्तर् किस्म चारागाह वाकै ग्राम खेडली गडासिया पर अतिक्रमण व सरसों की फसल कर अतिक्रमण किया जाना अतिक्रमण का सिद्ध होना स्वयं अपीलान्त के द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को अवगत नहीं होकर अपने पक्ष में जबाब आदि प्रस्तुत नहीं करने से अतिक्रमण है। अपीलान्त द्वारा भविष्य में पुनः अतिक्रमण न करने की हिदायत के अन्तर् से अतिक्रमण हटाने की शर्त पर अपीलाधीन आदेश को केवल सजा की हद तक निरस्त किया जाना उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्त सशर्त-आंशिक स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ तहसीलदार बयाना को प्रतिप्रेषित की जाती है कि बाद जांच यदि मौके पर अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया हो तो ही अपीलाधीन आदेश 05.02.2019 केवल सजा की हद तक निरस्त रहेगा, अन्यथा अपीलाधीन आदेश यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2019 को सनाया गया।